



3271
सुरेन्द्र कुमार सिंह

न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)

मण्डल : लखनऊ , जनपद : लखनऊ , तहसील : सरोजनीनगर

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460502347

वाद संख्या:- 2347/2026

प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम सुरेन्द्र कुमार सिंह

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 07/03/2026

वाद सं०-282

ग्राम-दोना

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2025 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किया गया। वाद मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य मे नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 00578 की खसरा सं० 2219 का कुल रकबा 0.5190हे० में से विकीत रकबा 0.0288हे०, खाता सं० 01006 की खसरा सं० 3271स का, कुल रकबा 0.4170हे० में से विकीत रकबा 0.4170हे०, खाता सं० 00578 खसरा सं० 2162 का कुल रकबा 0.9260हे० में से विकीत रकबा 0.1542हे०, कुल रकबा 1.8620 हे० में से विकीत रकबा 0.6000हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता सुरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र बेचे लाल निवासी-दोना लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 08.12.2025 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- तहसीलदार (न्यायिक)

सरोजनीनगर, लखनऊ।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

Court Order Print



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बिजनौर (पी-2)
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202510460543932
वाद संख्या :- 43932/2025
वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ बनाम रामनरेश
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा :- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि :- 29/12/2025

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ किया गया, जो कि विक्रय पत्र के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार वाद पंजीकृत कर इश्तहार जारी किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत किया। लेखपाल के बयान के अंकित कराये गये जो संलग्न पत्रावली है। यह बैनामा उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। तथा खाता सं० 00460 के गाटा सं० 2339 बैक बन्धक होने के कारण गाटा संख्या 2339 का नामान्तरण नहीं किया जा सकता है। वाद निर्विवाद होने के कारण वादी के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेश

ग्राम- दोना, परगना काकोरीतहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ की खतौनी सन् 1426-1431 फ० के खाता संख्या 00677 की गाटा संख्या 3271 सं रकबा 0.4170 हे० कुल रकबा 0.7000 हे० में से विक्रीत रकबा 0.4643 हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण अंश मा०गु० 60ख से विक्रेता श्री राम नरेश पुत्र श्री राम प्रसाद निवासी दोना काकोरी लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र दिनांक 15.11.2025 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

क्रमांक संख्या:- 20994

विक्रय मूल्य:- 70,00,000/-

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

3271
नूरजहाँ



न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202510460544530
वाद संख्या :- 44530/2025
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम नूर जहाँ
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा :- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि :- 07/03/2026

वाद सं०-370

ग्राम-दोना

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर स्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2025 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इस्तहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी व सादे बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 00856 की गाटा सं० 3271स रकबा 0.3790हे० में से विक्रीत रकबा 0.0947हे० मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्रीमती नूरजहाँ पत्नी गुलाम अहमद निवासिनी दोना लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारिकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 20.11.2025 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :- तहसीलदार (न्यायिक)

सरोजनीनगर, लखनऊ।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



3271
रिजवाना

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज, सरोजनी नगर
पीठासीन अधिकारी का नाम:- अस्था पांडेय
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460518634
वाद संख्या:- 18634/2026
नायब तहसीलदार प्रवेश कुमार बनाम श्रीमती रिजवाना
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 02/06/2026

प्रस्तुत वाद वादी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमे विक्रय पत्र दिनांक 22.11.25 के आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इश्तहर जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखी/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। यह विक्रय विलेख उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश
अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम दोना, परगना काकोरी, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1426 से 1431 फसली के खाता संख्या 00234 की खसरा सं० 3271सं कुल रकबा 0.3790 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0947 हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से विक्रेता श्रीमती रिजवाना पत्नी निहाल अहमद निवासी-ग्राम-दोना, लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र अंजनी कुमार शुक्ला लखनऊ विकास प्राधिकरण का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 22.11.25 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

3271
शादाब



न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202510460544531
वाद संख्या:- 44531/2025
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम मो० शादाब
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 07/03/2026

वाद सं०-369

ग्राम-दोना

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2025 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 00511 की गाटा सं० 3271 स रकबा 0.3890 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1297 हे० मा० गु० 60 ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री मो० शादाब पुत्र श्री मो० इंदरीश निवासी 189, दोना लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनांतर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 20.11.2025 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- तहसीलदार (न्यायिक)

सरोजनीनगर, लखनऊ।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

3271
दिल्ली जहा



न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202510460544529
वाद संख्या:- 44529/2025
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम दिलवर जहा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 07/03/2026

वाद सं0-367

ग्राम-दोना

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2025 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 00511 की गाटा सं० 3271स रकबा 0.3890हे० में से विक्रीत रकबा 0.2593हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्रीमती दिलवर जहां पत्नी श्री मो० समीम निवासिनी दोना लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 20.11.2025 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- तहसीलदार (न्यायिक)

सरोजनीनगर, लखनऊ।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार

पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह

मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460505674

वाद संख्या:- 5674/2026

प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम अफरोज़ जहा

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 20/05/2026

ग्राम दोना
प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किया गया। वाद मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य मे नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने मे कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश
अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 00856 की गाटा सं० 3271स का कुल रकबा 0.3790हे० में से विक्रीत रकबा 0.0947हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार **विक्रेता** श्रीमती अफरोज पत्नी मो० इस्लाम निवासी दोना काकोरी जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश नाम निरस्त करके **क्रेता** मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
क्रमांक नं० 84

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

3271
कलश



न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460505801
वाद संख्या:- 5801/2026
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम रुखसाना
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 09/05/2026

वाद सं०-
ग्राम-दोना
निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 06.01.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इष्टहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश
अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खसरा सं० 3271 स रकबा 0.3790 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0947 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण अंश मा० गु० 60 ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्रीमती रुखसाना पत्नी कमाल अहमद निवासी दोना काकोरी लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 06.01.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

3271
कम्यूटर



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460507894
वाद संख्या:- 7894/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम धरम पाल
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 24/04/2026

वाद सं०
ग्राम दोना

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 10.02.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किया गया। वाद मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य मे नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतोनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने मे कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतोनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 00284 की खसरा संख्या 3271स का कुल रकबा 0.3790 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री धरम पाल पुत्र खेलाडी, निवासी दोना विशेषवर खेडा काकोरी लखनऊ उ०प्र० नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 10.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

क्रमांक न०-2449

दिनांक: तहसीलदार

सरोजनीनगर, लखनऊ

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

3271
चंद्रपाल



न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
पीठासीन अधिकारी का नाम :- सुखवीर सिंह
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202610460508401
वाद संख्या :- 8401/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम चंद्रपाल
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा :- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि :- 09/05/2026

वाद सं०-

ग्राम-दोना

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 26.02.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इष्टहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खसरा सं० 3271स का कुल रकबा 0.3790 हे० में से विकीत रकबा 0.3790 हे०, खसरा सं० 2453 का कुल रकबा 0.0630 हे० में से विकीत रकबा 0.0063 हे०, खसरा सं० 2743 मि० का कुल रकबा 0.0250 हे० में से विकीत रकबा 0.0025 हे०, कुल रकबा 0.4670 हे० में से विकीत रकबा 0.3872 हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री चंद्र पाल पुत्र खिलाडी निवासी विशेषर खेडा, दोना लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 26.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- तहसीलदार (न्यायिक)

सरोजनीनगर, लखनऊ।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



3271, 3272
राम आसरे दास



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज (पी-3)
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460503480
वाद संख्या:- 3480/2026
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम राम आसरे दास
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 13/04/2026

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 00384 की गाटा सं० 3271 स रकबा 0.2530 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1265 हे० गाटा सं० 3272 स रकबा 0.0510 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0255 हे० खाता सं० 00089 की गाटा सं० 1347 रकबा 0.1260 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0630 हे० कुल रकबा 0.4300 हे० में सं विकित रकबा 0.2150 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा० गु० 60 ख से अंकित खातेदार विक्रेता-राम आसरे दास पुत्र कामला प्रसाद निवासी-दोना लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 20.12.2025 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



3271
दोना

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बिजनौर
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460501053
वाद संख्या:- 1053/2026
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम छोटे लाल
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 07/04/2026

प्रस्तुत वाद लेखपाल हस्तान्तरण रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमें विक्रय पत्र दिनांक 02.12.2025 आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इशतहार जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। लिखित साक्ष्य में क्षेत्रीय लेखपाल का बयान संलग्न पत्रावली है। लेखपाल के बयान से स्पष्ट है कि भूमि का सम्बन्ध सीलिंग, भूदान, ग्राम समाज की नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। यह विक्रय विलेख उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1426 से 1431 फसली के खाता संख्या 00220 गाटा संख्या 3271स रकबा 0.4193 हे० में से विक्रीत रकबा 0.4090 हे० व खाता संख्या 00832 गाटा संख्या 775 रकबा 0.1390 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0347 हे०, गाटा संख्या 774 रकबा 0.10640 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0410 हे०, गाटा संख्या 786 रकबा 0.0630 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0157 हे० व खाता संख्या 00830 गाटा संख्या 2228 रकबा 0.4240 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1060 हे०, गाटा संख्या 1313 रकबा 0.0890 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0222 हे०, गाटा संख्या 1312 रकबा 0.1900 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0475 हे०, गाटा संख्या 1326स रकबा 0.0380 हे० में से विक्रीत रकबा रकबा 0.0095 हे०, गाटा संख्या 1324 रकबा 0.0380 हे०, में से विक्रीत रकबा 0.0095 हे०, गाटा संख्या 1331स रकबा 0.0310 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0077 हे०, गाटा संख्या 1323 रकबा 0.1520 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0380 हे०, गाटा संख्या 1322 रकबा 0.0950 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0237 हे० व खाता संख्या 00831 गाटा संख्या 2887 रकबा 0.0405 हे०, गाटा संख्या 0.0506 हे०, गाटा संख्या 1594 रकबा 0.0510 हे० में से विक्रीत रकबा रकबा 0.0063 हे०, गाटा संख्या 2890 रकबा 0.1520 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0190 हे०, कुल रकबा 2.0855 हे० में से विक्रीत रकबा 0.8504 हे०, अपना सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से विक्रेता श्री छोटे लाल पुत्र जगन्नाथ निवासी-विशेश्वर खेड़ा, दोना, लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत-वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ, लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर, लखनऊ, उ०प्र० का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 02.12.2025 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



3271
श्रीराम

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज (पी-2)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- जितेंद्र कुमार शर्मा
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2026104618543
वाद संख्या:- 18543/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम श्री राम
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 05/06/2026

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम- दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली के खाता संख्या 00701 की गाटा संख्या 3284 का कुल रकबा 0.3160 हे० से विकीत रकबा 0.1580 हे० व गाटा संख्या 3271स का कुल रकबा 0.3040 हे० से विकीत रकबा 0.3040 हे० कुल रकबा 0.6200हे० में से विकीत रकबा 0.4620हे० अर्थात् समूचा अश मांगु 60ख से विक्रेता- श्री राम पुत्र रघुवर निवासी दोना काकोरी बक्शी का तालाब उ०प्र० का नाम निरस्त करके केता- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ उ०प्र० नाम जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.02.2026 सं०भू० अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज, सरोजनी नगर
पीठासीन अधिकारी का नाम:- अस्था पांडेय
मण्डल :लखनऊ, जनपद :लखनऊ, तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460518639
वाद संख्या:- 18639/2026
नायब तहसीलदार प्रवेश कुमार बनाम शिव देवी
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

3271

आदेश तिथि:- 02/06/2026

प्रस्तुत वाद वादी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमे विक्रय पत्र दिनांक 13.11.25 के आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इशतहर जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखी/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व सादे बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। यह विक्रय विलेख उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम दोना, परगना काकोरी, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1426 से 1431 फसली के खाता संख्या 00302 की खसरा सं० 3271स का कुल रकबा 0.4193 हे० में से विकीत रकबा 0.4190 हे० खसरा सं० 775का कुल रकबा 0.1390 हे० में से विकीत रकबा 0.0347 हे०, खसरा सं० 774 का कुल रकबा 0.1640 हे० में से विकीत रकबा 0.0410 हे०, खसरा सं० 786 का कुल रकबा 0.0630 हे० में से विकीत रकबा 0.0157 हे०, खसरा सं० 2228 का कुल रकबा 0.04240 हे० में से विकीत रकबा 0.1060 हे०, खसरा सं० 1313 का कुल रकबा 0.0890 हे० में से विकीत रकबा 0.0222 हे०, खसरा सं० 1312 का कुल रकबा 0.1900 हे० में से विकीत रकबा 0.0475 हे०, खसरा सं० 1326स का कुल रकबा 0.0380 हे० में से विकीत रकबा 0.0095 हे०, खसरा सं० 1324 का कुल रकबा 0.0380 हे० में से विकीत रकबा 0.0095 हे०, खसरा सं० 1331स का कुल रकबा 0.0310 हे० में से विकीत रकबा 0.0077 हे०, खसरा सं० 1323 का कुल रकबा 0.1520 हे० में से विकीत रकबा 0.0380 हे०, खसरा सं० 1322 का कुल रकबा 0.0950 हे० में से विकीत रकबा 0.0237 हे०, खसरा सं० 2887 का कुल रकबा 0.0405 हे० में से विकीत रकबा 0.5060 हे०, खसरा सं० 1594 का कुल रकबा 0.0510 मे से विकीत रकबा 0.0063 हे० खसरा सं० 2890 का कुल रकबा 0.1520 मे से विकीत रकबा 0.0190 हे० कुल रकबा 2.0855 हे० में से विकीत रकबा 0.8504 हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा0गु0 60ख से विक्रेता श्रीमती शिव देवी पत्नी श्री राम नरेश निवासी-विशेषर खेड़ा, दोना, लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र अंजनी कुमार शुक्ला लखनऊ विकास प्राधिकरण का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 13.11.25 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दप्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"